रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032024-252499 CG-DL-E-01032024-252499

## असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 924]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 29, 2024/फाल्गुन 10, 1945 NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 29, 2024/PHALGUNA 10, 1945

No. 9241

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 फरवरी, 2024

सं. 62/2023

विषयः विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.39 में संशोधन से संबंधित।

का.आ. 969(अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 के साथ पिठत, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 2.39 में निम्नानुसार संशोधन करती है:

## भारतीय पत्तनों पर रूके बिना एक विदेशी राष्ट्र से दूसरे विदेशी राष्ट्र तक माल की शिपमेंट से संबंधित विदेशी राष्ट्र तक माल की शिपमेंट से संबंधित विदेशी राष्ट्र तक माल की शिपमेंट या एक विशिष्ट वाणिज्यिक व्यापार, जिसमें भारत का कोई मध्यवर्ती हो, की अनुमित है, जो सीआईटीईएस और स्कोमेट सूची में वाणिज्यिक व्यापार जिसमें भारत का कोई मध्यवर्ती हो, की वस्तुओं / मदों को छोड़कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुमित है, जो सीआईटीईएस या स्कोमेट के अधीन वस्तुओं को छोड़कर आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन है।

1416 GI/2024 (1)

अधिसूचना सूचना का प्रभावः सीआईटीईएस परिशिष्टों या स्कोमेट में सूचीबद्ध में वस्तुओं को छोड़कर एक विशिष्ट विदेशी राष्ट्र में किए गए वाणिज्यिक व्यापार को आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के अध्यधीन अनुमित दी गई है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/40/एएम-20/पीसी-II [ख]/ई-23463] संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

## MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)
(Directorate General Of Foreign Trade)
NOTIFICATION

New Delhi, the 29th February, 2024

No. 62 /2023

Subject: Amendment in Para 2.39 of the Foreign Trade Policy, 2023 - reg.

**S.O. 969(E).**—In exercise of powers conferred by Section 5 of Foreign Trade (Development &Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 of the Foreign Trade Policy, 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends Para 2.39 of Foreign Trade Policy, 2023 as under:

. Existing Para	Revised Para
Merchanting trade involving shipment of goods from	Merchanting trade involving shipment of goods from one
one foreign country to another foreign country	foreign country to another foreign country without touching
without touching Indian ports, involving an Indian	Indian ports, or shipment of goods within one specific
intermediary is allowed subject to compliance with	foreign country, involving an Indian intermediary is allowed
RBI guidelines, except for goods/items in the CITES	subject to compliance with RBI guidelines, except for goods
and SCOMET list.	in the CITES, or under SCOMET.

**Effect of the Notification:** Merchanting Trade carried out within one specific foreign country is permitted subject to compliance with RBI guidelines, except for goods listed in the CITES Appendices, or under SCOMET.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/93/180/40/AM-20/PC-II [B]/E-23463]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex-officio Addl. Secy.